www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञाप्ति

दिनांक: 05.04.2017

सीबीआई ने एक लाख रू. की घूस स्वीकार करने पर बी.एस.एन.एल. के अतिरिक्त महाप्रबन्धक को गिरफ्तार किया एवं तलाशी के दौरान 14.93 लाख रू. (लगभग) और अन्य सम्पत्तियॉ बरामद की।

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 1,00,000 रू. की घूस की मॉग व स्वीकार करने के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.), भुवनेश्वर (ओडिशा) के माइक्रोवेव प्रोजेक्ट के अतिरिक्त महाप्रबन्धक को गिरफ्तार किया।

एक शिकायत के आधार पर दिनांक 04.04.2017 को मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता (एक ठेकेदार) ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त महाप्रबनधक, माइक्रोवेव प्रोजेक्ट, बी.एस.एन.एल., भुवनेश्वर (ओडिशा) ने डक्ट बिछाने एवं अन्य कार्यो से सम्बन्धित उनके लम्बित बिलों जिसमें बी.एस.एन.एल. द्वारा 10 लाख रू. (लगभग) की धनराशि का भुगतान करना शेष था, को पास करने हेतु उनसे 1,00,000 रू. की घूस की मॉग की। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 1,00,000 रू. की घूस की मॉग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा।

आरोपी के भुवनेश्वर एवं रायगढ़ा जिला (ओडिशा) स्थित आवास पर तलाशी की गई जिसमें 14.93 लाख रू. (लगभग) का नकद ; 603 (लगभग) अमेरिकी डालर ;03 बैंक लॉकर की चाबी ; भुवनेश्वर स्थित फ्लैटो, प्लाटो सहित सम्पत्तियों से सम्बन्धित दस्तावेज तथा अंशधारिता, डिबेन्चर/ पॉलसी आदि बरामद हुए।

गिरफ्तार आरोपी को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, भुवनेश्वर के समक्ष आज पेश किया गया व न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

****